



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरोक्त सरकार का उपक्रम)

14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(CIN : U32201UP1999SGC024928)



संख्या:137-गोपन-06/पाकालि/2019-3-सा0गो0/2017

दिनांक: 06 फरवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

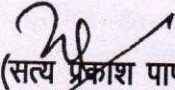
कारपोरेशन द्वारा अभियन्ता/गैर अभियन्ता अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं/स्वाकनों के प्रस्तुतीकरण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया के निर्धारण विषयक आदेश सं-824-काविनी/राविप-29/96-08-काविनी/93, दिनांक 18.04.1996 के अनुपालन में विगत में वार्षिक गोपनीय आख्याओं को पूर्ण कराये जाने हेतु कतिपय दिशा निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं। चूंकि प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (01.04.18 से 31.03.19) समापन की ओर अग्रसर है, अतएव समस्त अधिकारियों की प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की वार्षिक गोपनीय आख्याओं के ससमय अंकन हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक दशा में 15 जुलाई 2019 तक वार्षिक गोपनीय आख्याओं को, एतद्वारा कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें :-

- (1) प्रतिवेदी द्वारा स्वांकन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल होगी एवं प्रतिवेदक अधिकारी 15 मई तक समीक्षक अधिकारी को, समीक्षक अधिकारी 15 जून तक अन्तिम अधिकारी को तथा अन्तिम अधिकारी 15 जुलाई तक आख्या पूर्ण कराकर कारपोरेशन मुख्यालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- (2) प्रतिवेदक अधिकारी के स्थानीय होने की दशा में भी प्रतिवेदी बिना पावती प्राप्त किये अपना स्वांकन प्रतिवेदक अधिकारी को हस्तगत नहीं कराएगा। प्रतिवेदक अधिकारी के स्थानीय न होने की दशा में प्रतिवेदी पंजीकृत डाक से अपना स्वांकन भेजेगा और उसकी पावती अनुसचिव/उप सचिव (गोपन) को स्वयं या माँगे जाने पर उपलब्ध कराएगा।
- (3) प्रतिवेदी द्वारा 30 अप्रैल तक स्वांकन न प्रस्तुत करने की दशा में प्रतिवेदक/सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे इस तथ्य को इंगित करते हुये उपलब्ध विवरण के आधार पर प्रतिवेदी का मूल्यांकन करते हुए प्रविष्टि अंकित करेंगे।
- (4) उन सभी मामलों में जिनमें प्रविष्टिकर्ता अधिकारी बिना औचित्य के "उत्कृष्ट" या "असंतोषजनक" श्रेणी अंकित करेंगे, कारपोरेशन स्तर पर "उत्कृष्ट" श्रेणी को "अति उत्तम" तथा "असंतोषजनक" श्रेणी को "संतोषजनक" माना जायेगा और इस आशय का सत्यापन सम्बन्धित अवधि की गोपनीय आख्या में यथा स्थान कर दिया जायेगा।
- (5) वार्षिक गोपनीय आख्याओं में मूल्यांकन/अभिमत अंकित करने वाले समस्त प्रविष्टिकर्ता अधिकारियों द्वारा किसी भी दशा में मूल्यांकन अंकित करते समय काट/छाँट अथवा त्रुटि निवारण श्वेत द्रव्य इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों के साथ-साथ यह भी अवगत कराना है कि कारपोरेशन के आदेश सं-6127-गोपन-06/पाकालि/ 2018 दिनांक 25 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 एवं अग्रेतर वर्षों हेतु संशोधित वार्षिक गोपनीय आख्या प्रपत्रों पर स्वांकन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। जिसके सम्बन्ध में कारपोरेशन की वेबसाइट में पूर्व में ही निर्देश जारी किये जा चुके हैं। अद्यतन नये ए0सी0आर0 प्रपत्र मुद्रित हो चुके हैं। आवश्यकतानुसार कारपोरेशन मुख्यालय स्तर से प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 हेतु नये ए0सी0आर0 प्रपत्र प्राप्त भी किये जा सकते हैं। अतः प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित ए0सी0आर0 प्रपत्रों को प्रयोग में लाते हुए तदनुसार मूल्यांकन करते हुए कारपोरेशन मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

कृपया उक्त के अतिरिक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-1904-गोपन-06/पाकालि/18 दिनांक 23 जुलाई, 2018 में निहित व्यवस्था को भी संज्ञान में लेते हुये अभियन्ता/गैर अभियन्ता अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्यायें पूर्ण कराकर कारपोरेशन मुख्यालय को ससमय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें ।

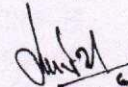

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:137 (1)-गोपन(06)/पाकालि/2019-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : -

- (1) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को, विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर ।
- (2) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र०जल विद्युत निगम लि०/ उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ ।
- (3) समस्त निदेशक (वितरण)/पारेषण/वित्त/तकनीकी/कारपोरेट प्लानिंग/वर्क्स एण्ड प्रोजेक्ट्स/आपरेशन, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ ।
- (4) मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
- (5) अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस०एल०डी०सी० प्रांगण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।
- (6) समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, स्तर-2, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० ।
- (7) महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/उप महाप्रबन्धक(लेखा-प्रशासन)/समस्त मुख्य/उपमुख्य/लेखाधिकारीगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ ।
- (8) महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
- (9) कारपोरेशन मुख्यालय शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार के समस्त अधिकारीगण/अनुभाग/शिविर ।
- ✓(10) अधिशासी अभियन्ता(वेबसाइट), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

आज्ञा से,


(कैलाश चन्द्र जोशी)
अनुसचिव(गोपन)